परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या–1241एलएएस/18–172एलएएस/17

दिनांकः30अगस्तः 2018

1–वित्त नियंत्रक/प्रधान प्रबन्धक (आहरण–वितरण),
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ।

2–प्रबन्धक (कार सेक्शन),
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ।

3–प्रधान प्रबन्धक(के0कार्य0/डा0आर0एम0एल0,कार्य0),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर।

4–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0(वित्त),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः–निगम पैनल अधिवक्ताओं की फीस पर जी0एस0टी0 का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम–2017 के सेक्सन 9(3) के अन्तर्गत, अधिवक्ता की फीस पर देय जी0एस0टी0 का भुगतान सेवा प्राप्तकर्ता (**Service Recipient**) द्वारा वर्तमान में लागू प्राविधान के अनुसार किया जाना है। तद्परिप्रेक्ष्य में श्री शरद श्रीवास्तव चार्टेड एकाउन्टेन्ट के पत्र दिनांक–16.03.2018 द्वारा प्राप्त अभिमत की छायाप्रति संलग्न है।

तद्नुक्रम में अधिवक्ता फीस पर नियमानुसार देय जी0एस0टी0 का भुगतान परिवहन निगम द्वारा किया जाना अपेक्षित है। जी0एस0टी0 की कटौती निगम पैनल अधिवक्ताओं की फीस से नहीं की जानी है, किन्तु अधिवक्ता की फीस से टी0डी0एस0 की कटौती पूर्ववत की जायेगी।

अतः निगम पैनल अधिवक्ताओं की फीस पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की गणना कर आगणित जी0एस0टी0 की धनराशि सम्बन्धित इकाई के लेखा शाखा द्वारा नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

संलग्नकः–यथोक्त।

(पी0 गुरू प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक